न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/7589/2006/भरतपुर

1. रमेश
2. मोती
3. दिनेश

–पुत्रगण लक्ष्मी जाति ब्राहमण निवासीगण दीवली तहसील बैर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

मूति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज जरिये भक्तगणः–

1. रामभज सिंह पुत्र नारायण
2. ज्ञानसिंह पुत्र चन्दन
3. रामकिशन पुत्र शंकर
4. मानसिंह पुत्र सरिवा
5. करन पुत्र जवाली
6. बिजेन्द्र पुत्र किरन
7. जगन पुत्र ग्यासिया
8. खिल्ली **– मृतक जरिये (कायममुकाम)**
    - 8/1. समन्दर पुत्र खिल्ली
    - 8/2. पूरण पुत्र खिल्ली
    - 8/3. रामसिंह पुत्र खिल्ली
    - 8/4. शिवराम पुत्र खिल्ली
9. हीरा पुत्र रामस्वरूप
10. हेती **– मृतक जरिये (कायममुकाम)**
    - 10/1. सन्तोकी पुत्री हेती
    - 10/2. कपिलदेव पुत्र हेती
    - 10/3. शिवसिंह पुत्र हेती
    - 10/4. मु0 विज्ञा पत्नि हेती
11. मानसिंह पुत्र रघुवीर

–समस्त जाति जाट निवासीगण फोजीपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर, जिला भरतपुर

.....प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 24–06–2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 सपठित धारा 225, 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 34/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर वैर के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण रामभज वगैरहा ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 बाबत ग्राम फौजीपुरा तहसील वैर स्थित वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में रमेश वगैरहा व राज्य सरकार को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए पेश किया। उक्त वाद इस आशय का पेश किया कि उक्त विवादित आराजियात की खातेदारी का इन्द्राजात कागजात पटवार में से प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन किया जाकर मंदिर ठाकुरजी श्रीनरसिंहजी भगवान वाके फौजीपुरा के नाम खातेदारी का इन्द्राजात किए जावे। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है, अतः वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जाए। विचारण न्यायालय ने वाद व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 7 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को विरचित कर दिनांक 31–05–2005 को वादीगण का वाद खारिज होने योग्य होने के कारण खारिज कर दिया। सहायक जिला कलक्टर वैर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक

31–5–2005 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2006 द्वारा स्वीकार करते हुए सहायक जिला कलक्टर वैर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2005 को निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह विवेचित किया कि वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 15 मिन रकबा 19 बिस्वा, 23 रकबा 3 बीघा, 24 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 48 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 49 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम फौजीपुरा का खातेदार काश्तकार मंदिर श्री ठाकुरजी नरसिंहजी भगवान वाके फौजीपुरा को घोषित किया जाता है। उक्त प्रकार से कागजात पटवार में से प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मी के नाम को कलमजन किया जाकर इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे। इसके साथ ही यह आज्ञा भी पारित की कि प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबंद किया जाता है कि वह आराजी मुतदाविया के कब्जे काश्त मंदिर मूर्ति में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत वेजा न करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2006 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 2013 प्रदर्श–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी के कॉलम 5 कृषक के कालम में श्रीलाल, किशन, दीना पिसरान हरेत बहिस्सा बराबर शामिल दीवली गैरमौरूसी 15 साल व काश्त लक्ष्मी पुत्र झामा दर्ज है। उक्त अंकन से स्पष्ट है कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने पर आराजी अपीलान्ट्स के पूर्वज के कब्जेकाश्त में थी।

उनका आगे कहना हे कि सम्वत 2010 से 2013 में अपीलान्ट के पिता के कब्जेकाश्त में आराजी दर्ज हुई थी। उनका आगे कहना है कि आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी की नहीं होने के कारण काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान विवादित आराजी पर लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त आराजी पर मंदिर मूर्ति का कब्जाकाश्त साबित नहीं होने से धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होते। यह सरासर गलत है कि आराजी मंदिर की सेवा–पूजा हेतु उन्हें दी गई है। उनका आगे यह भी कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने उनके पिता को सम्वत 2010 से 2014 में शिकमी दर्ज होना माना है फिर भी अपीलार्थीगण के पिता को खातेदार नहीं माना। इस कारण आक्षेपित निर्णय विरोधाभासी है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण न तो मंदिर के पुजारी है तथा न ही वह नेक्स्ट फ्रेंड है और न ही वादीगण द्वारा मंदिर की ओर से वाद पेश करने की अनुमति ही प्राप्त की है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद में न्यायिक परिधि के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2006 को निरस्त कर सहायक जिला कल्क्टर वैर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2005 को यथावत कायम रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने कथन किया कि तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा मौखिक साक्ष्य रामजन पीडब्ल्यू–1, उत्तमसिंह पीडब्ल्यू–2, बिजेन्द्र पीडब्ल्यू–3 व रोशन पीडब्ल्यू–4 के बयान करवाये गये है। जिन्होंने अपने बयानात में उद्धरित किया कि आराजी श्रीलाल, किशन व दीना पुत्रगण हरेत बहिस्सा बराबर गैरमौरूसी की थी, जिन्होंने इस आराजी को मंदिर ठाकुरजी भगवान की सेवा–पूजा, रखरखाव, मरम्मत व भक्तजनों व दर्शनाथियों को प्रसाद आदि की

व्यवस्था हेतु विला लगान पर दे दिया और आराजीयात की पैदावार से प्राप्त राशि मंदिर की उक्त व्यवस्था करवाई जाती रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व पुजारी के बाद में प्रतिवादी के पिता ने बदनियती से मंदिर की आराजियात की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। आगे बताया कि जमाबंदी सम्वत 2014, के कालम संख्या 10 में विला लगान व ऐवज पूजा, श्री ठाकुरजी महाराज तथा श्रीलाल किशन, दीना पुत्रगण हरेत गैरमौरूसी दर्ज है। इस कारण धारा 46 व 16 काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी व्यस्क व्यक्ति नाबालिग की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। उनका स्पष्ट कहना था कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मंदिर के हितों की सुरक्षा करने का दायित्व न्यायालयों पर है। उनका तर्क है कि मंदिर में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ वाद दायर कर सकता है। इस कारण वादीगण को आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आगे तर्क है कि मंदिर मूर्ति की ओर से ही वादीगण ने दावा पेश किया है। इसके अतिरिक्त मामले में विचारण न्यायालय ने प्रकरण में लिप्त आराजी को मंदिर मूर्ति की नहीं मानकर गलत तरीके से जो डिक्री पारित की है, वह त्रुटिपूर्ण है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से परिलक्षित होता है कि मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षार्थ मूल वाद ग्राम वासियों द्वारा पेश किया जाना

परिलक्षित होता है, इस कारण वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सीपीसी का पेश किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील मीमो की चरण संख्या 8 इस प्रकार उद्धरित की गई है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलान्ट के पिता को सम्वत 2010 से 2014 में शिकमी दर्शाया होना माना है फिर भी अपीलान्ट्स के पिता को खातेदार नहीं मानना अपने आप में विरोधाभासी है, इसलिए भी उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। विधायिका की भावना के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज शिकमी व गैरमौरूसी के अंकन मात्र से किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों में किए गए अभिवचन से ही प्रथम दृष्टया अपील/अपीलान्ट सारहीन होना प्रकट होती है।

8. रेकार्ड के अनुसार जमाबंदी ढाल–बांछ सम्वत 2002, 2005 व 2006 के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित आराजी श्रीलाल, किशन व दीना पिसरान हरेत को गैरमौरूसी दर्ज किया हुआ है तथा कालम संख्या 1 में विला लगान वएवज खिदमत पूजा मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज लिखा हुआ है। जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 2013 एवं सम्वत 2014 के अनुसार विवादित आराजी श्रीलाल वगैरहा की गैरमौरूसी में दर्ज है और काश्त लक्ष्मी बल्द झामा शिकमी दर्ज किया हुआ है तथा कालम संख्या 10 में विला लगान वएवज पूजा श्री ठाकुरजी महाराज लिखा हुआ है। उक्त राजस्व रेकार्ड से यह परिलक्षित होता हे कि विवादित आराजियात तत्कालीन गैरमौरूसियान श्रीलाल वगैरहा को मंदिर माफी में दी गई थी। साराशंतः आराजी मूर्ति मंदिर श्रीठाकुरजी महाराज की ही मानी जायेगी। हम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि शिकमी की हैसियत काश्त करने वाले काश्तकार को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार देय नहीं होते है। दूसरी ओर विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी में लक्ष्मी वल्द झामा को शिकमी दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रकट किया है, जो कि प्रावधानों के विपरीत है।

9. प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति सदैव शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः मूर्ति मंदिर उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का होता है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।

10. उपलब्ध रेकार्ड से विवादित आराजियात प्रथम दृष्टया माफी मंदिर की होना परिलक्षित होती है। प्रकरण के पूर्ण विवेचन हेतु अधिनियम की धारा 221 का अवलोकन कर लिया जाना समीचीन है, जो कि निम्नानुसार हैः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955

"221. **Subordination of revenue Courts.**- The general superintendence and control over all revenue courts shall be vested in, and all such courts shall be subordinate to the Board; and subject to such superintendence, control and subordination-

(a) deleted
(b) all Additional Collectors, Sub-Divisional Officers, Assistant Collectors and Tehsildars in the district shall be subordinate to the Collector thereof,
(c) all Assistant Collectors, Tehsildars and Naib-Tehsildars in the a sub-division shall be subordinate to the Sub-Divisional Officer thereof, and
(d) all Additional Tehsildars and Naib-Tehsildars in a Tehsil shall be subordinate to the Tehsildar thereof.
(e)

1993 आरआरडी 683 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार हैः–

"Rajasthan Tenancy Act Section 221- This Section confers on the Board, the powers of general superintendence and control over all revenue Courts to ensure justice upto the highest level. It empowers the Board to set aside the orders of subordinate courts where breach of law is committed and the error is apparent on the face of record".

अतः प्रकरण की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त अन्तनिर्हित शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रकरण में विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए वाद वादीगण को स्वीकार किये जाने संबंधी अपीलीय न्यायालय के निर्णय से पूर्णतया सहमत है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2006 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य